कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/विविध/स्वीप/2017–18/ दिनांक : 18-04/2019

18.04.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर्स)

विषय :– लोकसभा आम चुनाव 2019 मतदान कार्य हेतु शिक्षकगणों को मतदान दलों में लगाये जाने के फलस्वरूप विद्यालयों में स्थानीय अवकाश घोषित कराने बाबत।

प्रसंग :– शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक : प.17 (1) शिक्षा–1/जनरल/2014 जयपुर दि0 05.04.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि भारत निर्वाचन ने लोकसभा आम चुनाव, 2019 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसके अनुसार राजस्थान राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव दो चरणों (फैज–4 व फैज–5) में सम्पादित होंगे, जिनके लिए मतदान दिनांक 29.04.2019 एवं दिनांक 06.05.2019 को होगा। मतदान कराने हेतु मतदान दलों में शिक्षकगणों को नियुक्त किया गया हैं।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्रांक : 509/65/2003/जे.एस.1 दिनांक : 28 जनवरी, 2008 द्वारा निर्देशित किया है कि विद्यालयों में मतदान के दिन अवकाश घोषित किया जावें, साथ ही मतदान दलों की रवानगी के दिन यदि विद्यालयों में अध्यापन का दिन हो तो उस दिन का भी उन विद्यालयों में स्थानीय अवकाश घोषित किया जावें।

अतः मतदान कराने हेतु फैज–4 के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान दल दिनांक : 28.04.19 एवं फैज–5 के 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान दल दिनांक 05.05.2019 को रवाना होंगे। उक्त दोनों फैजो के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुछ मतदान आवश्यकतानुसार दिनांक: 27.04.2019 एवं दिनांक : 04.05.2019 को भी रवाना हो सकते हैं। मतदान दलों की यथानिर्धारित रवानगी दिनांको को उन विद्यालयों में आवश्यकतानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करने का श्रम करें।

भवदीय,

www.rajteachers.com

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय–माध्यमिक शिक्षा।
2. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

E:\Genral letter.docx